FLEX FOODS LTD.
'Indian Produce, Global Delight'

FFL/SEC/2023/ 25th July 2023

The BSE Limited
Corporate Relationships Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P J Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 523672

Subject: Publication of Notice "Information to the Shareholder(s) on the 33rd Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)".

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement(s) published in the Newspaper dated 25th July, 2023 [Financial Express] and [Jansatta] with regard to the "Notice of the 33rd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on August 18, 2023, Book Closure and e-voting information".

This is for your information and record(s) please.

Thanking you.

For Flex Foods Limited

HIMANSHU LUTHRA

Digitally signed by HIMANSHU LUTHRA
Date: 2023.07.25 11:30:37 +05'30'

(Himanshu Luthra)
Company Secretary

Encl. As above.

ROW OVER MANIPUR

Govt reaches out, Oppn firm on demand for PM statement

Opposition parties protest at the Parliament complex on Monday. ANIL SHARMA

MANOJ CG & LIZ MATHEW
New Delhi, July 24

EVEN AS THE government reached out to some Opposition leaders and reiterated that it was ready for a discussion on Manipur, the standoff in Parliament continued for the third day on Monday as the Opposition parties stuck to their demand for a statement by Prime Minister Narendra Modi followed by a comprehensive discussion in the House. The faceoff escalated with the suspension of AAP's Rajya Sabha member Sanjay Singh for the rest of the session.

With both Houses being adjourned again, Lok Sabha Speaker Om Birla has called a meeting of floor leaders on Tuesday to find a way out.

Seeking to break the logjam in Parliament, Defence Minister Rajnath Singh had called up Mallikarjun Kharge (Congress), Sudip Bandyopadhyay (TMC) and T R Baalu (DMK) on Sunday evening, urging them to allow the smooth functioning of both Houses.

"He requested that Bills should be allowed to pass without any disruption, especially the Multi State Cooperative Societies Bill... On Manipur, he said the government is ready for a discussion," Baalu told The Indian Express. The Opposition leaders are learnt to have told him that they would take a collective decision.

Sources in the Opposition said party leaders would meet on Tuesday morning to decide on a united strategy. Some leaders said there is pressure on some of the parties from their MPs to try and resolve the standoff.

The Manipur issue roiled both the Houses as they reassembled after the weekend break. Both the Houses were adjourned multiple times during the day.

The day began with Opposition MPs belonging to the INDIA alliance staging a protest on Parliament premises seeking a statement by Modi on Manipur, and ruling BJP MPs staging a counter-protest at the Gandhi statue over alleged atrocities against women and Dalits in Rajasthan.

In Rajya Sabha, when the House reassembled at 12 noon, as the Opposition members raised slogans, Singh, who was in the well of the House, moved closer to the Chairman's podium to draw his attention, prompting Chairman Jagdeep Dhankhar to "name" him.

Leader of the House in Rajya Sabha Piyush Goyal then said he would like to move a motion to suspend Singh, saying this "kind of behaviour, coming into the well and disturbing the House, is completely against the ethics and rules of the House." He also urged the Chair to take "necessary action" against Singh.

The Chairman asked Goyal to move the motion. He then put the motion to vote amid the ruckus, and announced Singh's suspension amid a loud "yes" by the ruling benches and an uproarious "no" by the Opposition.

The Opposition leaders later met Dhankhar in his chamber and demanded that Singh's suspension be revoked. They also walked out of a meeting called by Dhankhar to seek their cooperation for smooth conduct of the House.

When the House assembled in the afternoon, Deputy Chairman Harivansh asked Singh to withdraw from the House since he had been suspended, but the AAP MP did not relent. Amid protests by the Opposition members, the House was adjourned twice.

"We didn't do anything wrong. The Manipur issue is so serious...the wife of a Kargil war hero was paraded naked....All of us had been demanding that the PM come to the House and make a statement. What is wrong with that? Why can't the PM make a statement," said Singh, who later sat on a dharna in protest against the action.

In 2020, Singh was among the eight MPs who were suspended for "unruly behaviour" during the passage of the farm Bills.

The AAP MP said he was "targeted". He said he was only demanding that the PM come to the House and give a reply. "When the Chair didn't listen to me, I went closer to the Chair to request him to allow me to speak under Rule 267 for which I had given a notice," he said. He said a total of 27 notices were given by the members of various parties for discussion on the Manipur violence under Rule 267.

Earlier in the day, Rajya Sabha also saw an exchange between Dhankhar and TMC's Derek O'Brien over the chair not mentioning the party affiliations of Opposition members who had sought a discussion on the Manipur issue. Dhankhar read out the names of the MPs and their parties while detailing the 11 notices received under Rule 176, mostly from treasury benches, seeking short-duration discussions over violence in states ranging from Rajasthan to Manipur.

SC puts Gyanvapi survey on hold

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, July 24

THE SUPREME COURT on Monday put on hold the Varanasi district court's July 21 order asking the Archeological Survey of India (ASI) to "undertake scientific investigation/survey/excavation" at the disputed Gyanvapi mosque to find out if it was "constructed over a pre-existing structure of Hindu temple". It said this would give the Muslim side "breathing time" to approach the Allahabad High Court.

"Having regard to the fact that the order of the district court was pronounced at 4.30 pm on 21 July 2023 and the survey is in the process of being carried out today, we are of the view that some breathing time must be granted to the petitioners to move the High Court for pursuing their remedies. We direct that the impugned order of the district court shall not be enforced until 5 pm on 26 July 2023," ordered a three-judge bench presided by Chief Justice of India D Y Chandrachud.

The bench also comprising Justices J B Pardiwala and Manoj Misra clarified that it "shall not be construed as the expression of opinion on the merits".

The top court said the petitioners were at liberty to approach the High Court in the meantime, adding that if they do so, "the Registrar (Judicial) of the High Court shall ensure that it is placed before the appropriate court according to the roster so that it can be heard before the order of status quo, which has been granted by this court today, comes to an end".

The Supreme Court was hearing an urgent plea moved by the management committee of Anjuman Intezamia Masjid, Varanasi, challenging the district court's July 21 order.

Appearing for the committee, Senior Advocate Huzefa Ahmadi said the order was pronounced at 4.30 pm on Friday, leaving the petitioner with no time to pursue remedies before the High Court.

Rajasthan passes Bill extending social security to gig workers

HAMZA KHAN
Jaipur, July 24

THE RAJASTHAN ASSEMBLY Monday passed a Bill extending social security to gig workers but without any debate.

When the House reconvened at 2 pm Monday after unprecedented scenes where sacked minister Rajendra Gudha clashed with Parliamentary Affairs Minister Shanti Dhariwal and other Congress MLAs, BJP MLAs again stormed the well and resumed their protest over the 'red diary', which Gudha has alleged contains incriminating details of Ashok Gehlot government's 'misdeeds'.

As the House proceedings resumed amid loud protest by BJP MLAs who raised symbolic red diaries before Speaker C P Joshi, the Speaker and the ruling party rushed through four legislations, including the Bill for gig workers.

The Rajasthan Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) Bill extends certain "rights" to gig workers, such as being registered with the state, having access to general and specific social security schemes, and having an opportunity to be heard for any grievances, among others.

An important component is the setting up of a Platform Based Gig Workers Welfare Board.

Apart from bureaucrats, it will have two representatives each from gig workers and from aggregators, to be nominated by the government.

National Dental Commission Bill, Nursing and Midwifery Commission Bill tabled in LS

THE GOVERNMENT ON Monday introduced the National Nursing and Midwifery Commission Bill, 2023 and the National Dental Commission Bill, 2023 in the Lok Sabha.

The National Dental Commission Bill seeks to repeal the Dentists Act, 1948 and proposes to set up National Dental Commission (NMC) to regulate dental education and the profession in the country.

It also aims to make dental education affordable and make quality oral healthcare accessible. According to official sources, the composition of the dental commission will be similar to that of the National Medical Commission, which had replaced the Medical Council of India.

The National Nursing and Midwifery Commission Bill, 2023 aims at setting up National Nursing and Midwifery Commission (NNMC) and to repeal the Indian Nursing Council Act, 1947.

The Bill provides for regulation and maintenance of standards of education and services by nursing and midwifery professionals, assessment of institutions, maintenance of a national register as well as state registers.

It also talks about creation of a system to improve access, research and development and adoption of latest scientific advancement for matters connected therewith. —PTI

FLEX FOODS LTD. 'Indian Produce, Global Delight'

FLEX FOODS LIMITED

(CIN: L15133UR1990PLC023970)
Regd. Office: Lal Tappar Industrial Area, P.O. - Resham Majri, Haridwar Road, Dehradun (Uttarakhand)
Corporate Office: A-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida-201301, Uttar Pradesh, INDIA. Phone: +91 120 4012345
Share Deptt. Office: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048
Phone: +91-11-26440917, 26440917 Fax: +91-11-26216922
Website: www.flexfoodsltd.com E-mail ID: secretarial@flexfoodsltd.com

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 33RD (THIRTY THIRD) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 33rd ("Thirty Third") Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Friday, August 18, 2023 at 3:30 P.M. IST** in compliance with the General Circular No(s) 14/2020 dated: April 08, 2020, 17/2020, dated: April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 respectively read with other Circulars, as may be issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)(collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively with other Circulars as may by issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In Compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2022-23, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on **Monday, July 24, 2023** to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid Documents are also available on the Company's website at www.flexfoodsltd.com and on the website of the Stock exchange, i.e. "BSE Limited" at www.bseindia.com.

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

As per Section 108 of the Companies Act,2013, read with Rule 20 of the Companies (management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") to provide the e-voting facility to the Shareholders. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below **("remote e-voting")**.

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. Central Depository services Limited, ("CDSL") will be providing facility for voting through remote e-voting, for participating in the 33rd AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the 33rd AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Saturday, July 29, 2023 to Friday, August 18, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the Dividend for the year 2022-23.

All members are informed that:

(a) the business as set-forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
(b) the date and time of commencement of remote e-voting: **Tuesday, August 15, 2023, 9:00 A.M.**;
(c) the date and time of end of remote e-voting: **Thursday, August 17, 2023, 5:00 P.M.**;
(d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM: **Friday, August 11, 2023.**
The voting rights of the members shall be in proportion to their shareholding as on the cut-off date i.e., **Friday, August 11, 2023;**
(e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and hold shares as of the **cut-off date i.e., Friday, August 11, 2023**, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote;
(f) The members may note-
(i) remote e-voting shall not be allowed beyond **Thursday, August 17, 2023, 5:00 P.M.**
(ii) The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
(iii) A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and
(iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i.e., Thursday, August 17, 2023** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting;
(g) The Members who have not registered their email address(s) are requested to register their email address with respective depository participant and members holding shares in physical form are requested to update their email address with Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110062, Phone No. : 011-29961281-83, Fax No. : 011 – 29961284, E-mail: beetal@beetalfinancial.com,to receive the copies of the Annual Report for the Financial year 2022-23 and the Notice of AGM, instructions for remote e-voting and for participation in the AGM through VC/OAVM.
(h) The members may please note that Board of Directors has recommended a Final Dividend of 5% [i.e., @ Rs. 0.50 (Fifty Paisa Only) per Equity Share of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten Only)] for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. The Dividend, if declared, will be paid electronically through various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants. For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following details/ documents at the Company's email address secretarial@flexfoodsltd.com:

1. Signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank details including Name and Branch of Bank and Bank Account type, Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; 11-digit IFSC Code;
2. Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly;
3. Self-attested scanned copy of the PAN Card; and
4. Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For the Members holding shares in demat form, please update your Electronic Bank Mandate through your Depository Participant(s).

For further information/clarification on the above matter, Members can write to the Company/RTA of the Company at the above-mentioned address/e-mail.

(i) Website address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: www.flexfoodsltd.com and www.evotingindia.com;
(j) Name, Designation, Address, Email Id and Phone Number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:
Mr. Himanshu Luthra, Company Secretary, Email Id: secretarial@flexfoodsltd.com, Telephone No.: 0120-4012345, Address: Corporate Office: A-108, Sector-IV, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida-201301, Uttar Pradesh, INDIA.

By order of the Board of Directors
For Flex Foods Limited
Sd/-
Himanshu Luthra
Company Secretary
FCS No. 10694

Dated : July 24, 2023
Place : Noida

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

Palika Kendra, New Delhi
Personnel Department

VACANCY NOTICE

The New Delhi Municipal Council (NDMC) invites application for the following posts on deputation basis from Government Officers under the Central/State Government/Autonomus or Statutory Organizations, as per details given below:

S. No.	Name of Posts	Pay Level under 7th CPC	No. of Posts	Last Date of Receipt of Application	Vacancy Circular/ Letter No. with Date
1.	**Chief Architect** (on deputation)	13(A) of Pay Matrix (Rs.1,31,100-2,16,600)	01	31.07.2023	No. 487/A&H/Estt. dated 08.06.2023 read with No. I/71197/2023 dated 17.07.2023
2.	**Sr. Audit Officer** (on deputation)	10 of Pay Matrix (Rs.56,100-1,77,500)	05	31.07.2023	No. I/55409/2023 dated 10.02.2023 read with No. I/70116/2023 dated 06.07.2023
3.	**Asstt. Audit Officer** (on deputation)	8 of Pay Matrix (Rs.47,600-1,51,100)	10	31.07.2023	No. I/55412/2023 dated 10.02.2023 read with No. I/70116/2023 dated 06.07.2023
4.	**Suptd. Engg. (Civil)**	13 of Pay Matrix (Rs.1,23,100-2,15,900)	02	31.07.2023	No. SO(CE-II)/50/SAG-I dated 14.06.2023 read with No. SO(CE-II)/77/SA-G-I dated 18.07.2023
5.	**Exe. Engg. (Civil)** (on deputation)	11 of Pay Matrix (Rs.67,700-2,08,700)	12	04.08.2023	No. SO(CE-II)/49/SAG-I dated 14.06.2023 read with No. SO(CE-II)/79/SAG-I dated 20.07.2023
6.	**Exe. Engg. (Elect.)** (on deputation)	12 of Pay Matrix (Rs.78,800-2,09,200)	17	03.08.2023	No. I/63466/2023 dated 10.05.2023 read with No. I/71455/2023 dated 19.07.2023
7.	**Suptd. Engg. (Elect.)** (on deputation)	13(A) of Pay Matrix (Rs.1,31,100-2,16,600)	03	07.08.2023	No. I/63880/2023 dated 15.05.2023 read with No. I/69152/2023 dated 07.08.2023

2. The detailed information of said vacancies is uploaded on NDMC's website i.e. **https://www.ndmc.gov.in** and the application should be sent only as per the prescribed proforma attached in above mentioned vacancy circular.

Note :- For latest update of extension of last date, kindly visit NDMC's official website.

Sd/-
Director (Personnel)

UFLEX 'A part of your daily life'

UFLEX LIMITED

CIN : L74899DL1988PLC032166
Regd Off.: 305, 3rd Floor, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048
Phone Nos: 011-26440917, 011-26440925 **Fax:** 011-26216922
Website: www.uflexltd.com **Email:** secretarial@uflexltd.com

INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 34TH (THIRTY FOURTH) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the **34th ('Thirty Fourth') Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting')** of the Members of UFLEX Limited (the "Company") will be held on, **Wednesday, August 23RD, 2023 at 3:30 P.M. IST** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of AGM dated: 30th May, 2023. In accordance with the MCA General Circular No. 14/2020, dated 08th April, 2020, 17/2020, dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 as issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023 respectively read with other Circulars as may be issued by SEBI (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Company will be sending the Notice of the 34th AGM along with the Annual Report 2022-23, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide above refered MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Annual Report 2022-23 of the Company and the Notice of the AGM along with Explanatory Statement shall be available on the website of the Company at www.uflexltd.com and on the websites of the Stock Exchange(s) viz. **www.bseindia.com** & **www.nseindia.com**. A copy of the same shall also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at **www.evotingindia.com**.

The Members who have not registered their email address(s) are requested to register their email address with respective depository participant and members holding shares in physical form are requested to update their email address with Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110062, Phone No. : 011-29961281-83, Fax No. : 011 – 29961284, E-mail: beetal@beetalfinancial.com,to receive the copies of the Annual Report for the Financial Year 2022-23 and the Notice of AGM along with instructions for remote e-voting and for participation in the AGM through VC/OAVM.

The Members may please note that Board of Directors has recommended a Final Dividend of 30% (i.e., @ Rs. 3.00 (Rupee Three Only) per Equity Share of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten Only)] for the Financial Year ended March 31, 2023, subject to the approval of the Shareholders at the ensuing AGM. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, 5th August, 2023 to Wednesday, 23rd August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of members to the final dividend. The Dividend, if declared, will be paid electronically through various online transfer modes to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants. For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses. Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically or any other means, by sending scanned copy of the following details/ documents at the Company's email address secretarial@uflexltd.com.

a) signed request letter mentioning your name, folio number, complete address and Bank details including Name and Branch of Bank and Bank Account type, Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; 11 digit IFSC Code;
b) Self-attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly;
c) Self-attested scanned copy of the PAN Card; and
d) Self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

For the Members holding shares in demat form, please update your Electronic Bank Mandate through your Depository Participant(s).

For further information/clarification on the above matter, Members can write to the Company/RTA of the Company at the above mentioned address/e-mail.

By order of the Board
for UFLEX LIMITED
Sd/-
Ritesh Chaudhry
Sr. Vice President –Secretarial &
Company Secretary
ACS No. 19966

Dated : 24th July, 2023
Place : Noida

यूनियन बैंक Union Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय – दिल्ली उत्तर, दूसरी मंजिल, फैज रोड–1, नई दिल्ली–110005, फोन नंबर 011–28754615, 28754642 ईमेल आईडीः law.rodelhinorth@unionbankofindia.bank

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र 27.07.2023 को होने वाली ई–नीलामी के लिए दिनांक **16.07.2023** को इस समाचार पत्र में प्रकाशित बिक्री नोटिस के संदर्भ में है। जिसमें से **खाता क्रम सं. 1 श्री अश्विनी कुमार शर्मा** एवं **श्रीमती ममता शर्मा (कर्जदार)**, (शाखा–आजादपुर) की सम्पत्ति अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस संपत्ति को बैंक ने **27.07.2023** को होने वाले ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है।

दिनांकः 24.07.2023 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

विकास पुरी शाखा, जे–10, विकास पुरी, नई दिल्ली – 110018
ई–मेल : VIKASP@bankofbaroda.com

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि **बैंक ऑफ बड़ौदा, जे–10, विकासपुरी नई दिल्ली** अपने एक ग्राहक द्वारा अनुरोधित एक ऋण/क्रेडिट सुविधा के लिए प्रतिभूति के रूप में श्री जयदीप दासगुप्ता और श्रीमती सोमा दासगुप्ता, निवासी आवासीय विला नंबर 190, ब्लॉक–एक्स, तत्वम विलाज, विपुल वर्ल्ड, सेक्टर–48, गुरुग्राम, हरियाणा के नाम पर मौजूद अधोवर्णित संपत्ति को स्वीकार करने का इरादा करता है।

यदि किसी भी व्यक्ति का अधोवर्णित संपत्ति पर कोई अधिकार/स्वामित्व/हित/दावा है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने दावे को साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण के साथ 10 दिनों के भीतर बैंक से संपर्क करें।

यदि 10 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो यह मान लिया जाएगा कि संपत्ति किसी भी शुल्क/दावे/ऋणभार से मुक्त है और बैंक बंधक के साथ आगे की कार्रवाई करेगा।

संपत्ति का विवरण :– आवासीय विला संख्या 190 (अधिमापन 752.28 वर्ग गज), ब्लॉक–एक्स, तत्वम विलाज, विपुल वर्ल्ड, सेक्टर–48, गुरुग्राम, हरियाणा जो कि श्री जयदीप दासगुप्ता और श्रीमती सोमा दासगुप्ता के नाम पर है,

जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं : उत्तर : सड़क 12 मीटर चौड़ी दक्षिण : हरित क्षेत्र
पूर्व : हरित गलियारा पश्चिम : विला नंबर 191

शाखा विवरण : बैंक ऑफ बड़ौदा, जे 10, विकासपुरी नई दिल्ली।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

सेक्टर–5जे, एनआईटी, के.सी. सिनेमा के सम्मुख, फरीदाबाद–121001 (हरियाणा), भारत
दूरभाष : 91-129-2415527, 2412681, फैक्स : 91.129.2417711
ईमेलः : secfar@bankofbaroda.com

परिशिष्ट के – अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति/यों हेतु)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 21–03–2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता मैसर्स के.बी. सेल्स कॉर्पोरेशन को सूचना में अंकित राशि रु. 23,01,134/-, 21–03–2023 के अनुसार, संविदागत दर पर राशि पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागू लागतों, शुल्कों और व्ययों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 19 जुलाई 2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 23,01,134/-, (रुपये तेईस लाख एक हजार एक सौ चौंतिस मात्र), 21–03–2023 के अनुसार, संविदागत दर पर राशि पर भावी ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक लागू लागतों, शुल्कों और व्ययों हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो कि 18 मापन 3 मारला अर्थात् 100 वर्ग गज से समाविष्ट है जो खसरा सं. 31/23 एवं 24/1 का भाग है और मौजा बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित है। तथा इस प्रकार परिसीमित है : उत्तर : मकान नं. 368 दक्षिण : मकान नं. 370
पूर्व : अन्य संपत्ति पश्चिम : रास्ता 15 फुट

दिनांक : 19–07–2023 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : सेक्टर 4, फरीदाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
पारस टावर, 2 रा तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

मांग सूचना धारा 25 से 28 के अंतर्गत
ऋणों की वसूली एवं दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आय कर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना

आर सी/162/2022 **05.06.2023**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मै. आर. एस. ट्रेडर्स एवं अन्य

सेवा में,
सीडी नं. 1. मै. आर. एस ट्रेडर्स, प्रॉप्राइटरशिप प्रतिष्ठान, द्वारा उसके प्रॉप्राइटर, पता : 895, संजय मार्ग, गांधी नगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
सीडी नं. 2. अनुज गोयल, पुत्र श्री राज रिशी गोयल, निवासी : 233/2, द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
सीडी नं. 3. अंशुल गोयल, पुत्र श्री राज रिशी गोयल, निवासी : 233/2, द्वारकापुरी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

सूचित किया जाता है कि ओए/184/2021 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जारी की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार विलंबित तथा 03.07.2021 से वसूली तक 10.35 % साधारण दर पर आगे के ब्याज तथा रु. 145800/– (रु. एक लाख पैंतालिस हजार आठ सौ मात्र) की लागतों के साथ रु. 64,04,591.06/– (रु. चौंसठ लाख चार हजार पांच सौ इक्यानबे एवं पैसे छः मात्र) की राशि आप पर (संयुक्त तथा पृथक रूप से) बकाया हो गया है।

2. एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि के भुगतान का निर्देश दिया जाता है अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार यह वसूली की जाएगी।
3. एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि को या पूर्व अपनी सम्पत्तियों का विवरण एक शपथ पत्र पर घोषित करें।
4. एतद्द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही के लिये 07.08.2023 को 10.30 बजे पूर्वा. में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।
5. उक्त राशि के अतिरिक्त आप अधोलिखित का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होंगेः

क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तत्काल बाद शुरू होने वाली अवधि के लिये देय ब्याज
ख) बकाया राशि की वसूली के लिये इस सूचना तथा वारंट्स की सेवा तथा अन्य प्रक्रियाओं तथा शुरू की गई अन्य कार्यवाहियों के संदर्भ में वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 05.06.2023 को दी गईः

वसूली अधिकरण
ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड

FLEX FOODS LTD. 'Indian Produce, Global Delight'

(CIN: L15133UR1990PLC023970)

रजि. कार्यालयः लाल टप्पर औद्योगिक क्षेत्र, पी.ओ. – रेशम मजरी, हरिद्वार रोड, देहरादून (उत्तराखंड)
कॉर्पोरेट कार्यालयः ए–108, सेक्टर–IV, जिला। गौतमबुद्धनगर, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश, भारत। फोनः +91 120 4012345
शेयर विभाग कार्यालयः 305, तीसरी मंजिल, मनोट कॉर्नर, पंपोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली–110 048
फोनः +91–11–26440917, 26440917 फैक्सः +91–11–26216922
वेबसाइटः www.flexfoodsltd.com ई–मेल आईडीः Secretarial@flexfoodsltd.com

33वीं (तैतीसवीं) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य –दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 33वीं ("तैतीसवीं") वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' या 'बैठक') **शुक्रवार, 18 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार दिन के 3:30 बजे** वीडियो कॉफ्रेंस ("वीसी")/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से होगी। सामान्य विज्ञप्ति संख्या(ओं) क्रमशः 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 02/2022 दिनांक 5 मई 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और इस संबंध में जारी किये गये बाद के परिपत्र, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया है (सामूहिक रूप से एमसीए विज्ञप्ति कहा गया) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई 2022 और 05 जनवरी 2023 तथा सेबी द्वारा जारी अन्य विज्ञप्तियों (यदि जारी की गई) के सहित पढ़ा जाये (सामूहिक रूप से "सेबी विज्ञप्ति" कहा गया) के अनुपालन में बैठक का कार्य संचालन एजीएम की बैठक बुलाने संबंधी नोटिस में तय प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सदस्य वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए बैठक में हिस्सा लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

सम्बद्ध विज्ञप्तियों के अनुपालन में, एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेज के साथ **सोमवार 24 जुलाई, 2023** को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दिए गए हैं, जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com और शेयर बाजार की वेबसाइट जैसे कि "बीएसई लिमिटेड" www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग के लिए अनुदेश :

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित, कंपनी अनिधनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को सहर्ष, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मताधिकार का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("ई–वोटिंग") से करने की अनुमति प्रदान करेगी। कंपनी ने शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की सेवाएं हासिल की हैं। सदस्य नीचे (**"रिमोट ई–वोटिंग"** में) वर्णित तारीखों को सीडीएसएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए, दूरस्थ स्थान से अपने वोट डाल सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट देने की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया होगा, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने की सुविधा और 33वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

एजीएम और वर्ष 2022–23 के लाभांश लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां, शनिवार, 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 (दोनों तारीखों सहित) की अवधि में बंद रहेंगी।

सभी सदस्यो को सूचित किया जाता है कि :–

(क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार बैठक का संचालन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग के जरिए किया जा सकता है।
(ख) रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ होने की तारीख और समय :– **मंगलवार, 15 अगस्त, 2023, पूर्वाह्न 9:00 बजे।**
(ग) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समय :– **गुरूवार, 17 अगस्त, 2023, सायं 5:00 बजे।**
(घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा एजीएम में वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट–ऑफ तारीख : शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023,** सदस्यों के वोटिंग राइट्स **कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023,** को उनकी शेयरहोल्डिंग के अनुपात में होंगे।
(ङ) यदि किसी व्यक्ति ने, कंपनी के शेयर खरीदे हों, और वह एजीएम का नोटिस डिस्पैच होने के बाद कंपनी का सदस्य बना हो तथा **कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023,** को वह शेयरधारक हो, तो वह एजीएम के नोटिस में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉग इन आईडी और पासवर्ड सृजित कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हो, तो वह वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है;
(च) सदस्य कृपया नोट करें :
 (i) रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के इस्तेमाल की अनुमति **गुरूवार, 17 अगस्त, 2023, सायं 5 बजे** के बाद नहीं दी जाएगी;
 (ii) वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी और बैठक में हिस्सा लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट न दिया हो, वे बैठक के दौरान वोट डाल सकेंगे;
 (iii) रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद भी कोई सदस्य एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु, बैठक में उसे फिर से वोट देने का अधिकार नहीं होगा; और
 (iv) रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा और वार्षिक आम बैठक में वोट देने की सुविधा केवल उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसका नाम **कट–ऑफ तारीख यानी गुरूवार, 17 अगस्त, 2023,** को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपोजिटरीज़ द्वारा रखे गए रजिस्टर में लाभार्थी स्वामी के रूप में दर्ज हो।
(छ) जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत करें और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाईनेंशियल एंड कंम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के निकट, नई दिल्ली–110062, फोन नं.: 011–29961281–83, फैक्स नं.: 011–29961284, ई–मेल beetal@beetalfinancial.com के साथ अपना ईमेल पता वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करने के लिए और एजीएम की सूचना, रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए अपडेट करा लें।
(ज) सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 5% अन्तिम लाभांश [(₹10/- (रुपये दस मात्र) मूल्य की फेस वैल्यू पर ₹0.50 (पचास पैसे मात्र)] प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है, जो एजीएम में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश यदि घोषित किया जाता है तो यह विभिन्न ऑनलाईन अंतरण माध्यमों से उन शेयर धारकों को इसका भुगतान किया जायेगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/ डिपॉजिटरी यानी जमाकर्ता प्रतिभागियों के साथ अद्यतन कर लिया है। जिन शेयर धारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं किया है उनका लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजा जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश) से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश अंतरण के लिये अपना अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश द्वारा सीधे अपने बैंक खाते में या किसी अन्य माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के ई–मेल secretarial@flexfoodsltd.com पर निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भेज सकते हैं:
 1) हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र, आपका नाम, फोलियो नम्बर, पूरा पता और बैंक विवरण (नाम, शाखा तथा खाता प्रकार) कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के बाद बैंक से आवंटित खाता संख्या के उल्लेख सहित; 11 अंक का आईएफएससी कोड;
 2) रद्द किये हुए चेक की स्व–प्रमाणित, जिस पर सदस्य या पहले धारक, यदि शेयर संयुक्त रूप से लिये गये हों, का नाम हो की स्कैन की हुई प्रति;
 3) पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैन की हुई प्रति; और
 4) सदस्य के कंपनी के साथ पंजीकृत पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे कि आधार–कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्कैन की हुई स्व–प्रमाणित प्रति।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश अपने डिपॉजिटरी या जमाकर्ता प्रतिभागि(यों) के माध्यम से अद्यतन करायें।

उपर्युक्त संदर्भ में किसी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के लिये, सदस्य कंपनी/कंपनी के आरटीए को उपरोक्त पते/ई–मेल पर लिख सकते हैं।

(1) कंपनी और एजेंसी की वेबसाइट पता, जहां बैठक का नोटिस डिस्प्ले किया गया www.flexfoodsltd.com और www.evotingindia.com हैः
(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से संबंधित शिकायतें दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर : श्री हिमांशू लूथरा, कंपनी सेक्रेटरी ईमेल आईडी : secretarial@flexfoodsltd.com, टेलीफोन नंबर : 0120–4012345 पता : ए–108, सेक्टर–IV, जिला गौतम बुद्धनगर, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश, भारत।

बोर्ड के आदेशानुसार,
कृते फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
ह०/–
हिमान्शू लूथरा
कंपनी सेक्रेटरी
सदस्यता संख्याः 10694

स्थानः नोएडा
दिनांकः जुलाई 24, 2023

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा
सी-3, दूसरी मंजिल, सेक्टर-1, नोएडा 201301 दूरभाष : 0120-2524896 ई-मेल : recoverynoida@canarabank.com

कब्जा सूचना [अचल सम्पत्तियों हेतु]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों/स्वामियों/बंधककर्ताओं/जमानतियों से उनके नाम के सामने उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की।

कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए केनरा बैंक के प्रभार का विषय होगा।

शाखाः डूंगरपुर रिल्का

1. **कर्जदारः मैसर्स जय बाबा मोहन राम ब्रिक्स उद्योग** वाया महेंद्र, श्री महेंद्र पुत्र अजीबपाल और गारंटरः श्रीमती राजेंद्री पत्नी श्री अजीबपाल सभी निवासी ऊंची दनकौर, मोहल्ला हवेलिया दनकौर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। 203201.
 मांग सूचना दिनांकः 19.04.2023, **कब्जा दिनांकः** 19.07.2023
 बकाया राशिः रु. 9,98,117.70 (रुपये नौ लाख अट्ठानवे हजार एक सौ सत्रह और सत्तर पैसे मात्र) अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय और लागत के साथ।
 संपत्ति का विवरणः चक संख्या 116 वाला आवासीय खाली प्लॉट, खेत नंबर 102 का हिस्सा, गांव-दनकौर (बाहर टाउन एरिया) परगना-दनकौर, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर श्रीमती राजेंद्री के नाम पर
 सीमाएँः उत्तरः जय सिंह का भूखंड, दक्षिणः अन्य भूखंड
 पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः गांव की सड़क

शाखा : चिटहेरा

2. **कर्जदारः श्री संजय सिंह पुत्र स्व. सुखवीर सिंह, श्री सुरेंद्र पुत्र सुखवीर और स्व. सतवीर पुत्र स्व. सुखवीर** सभी निवासी गाटा नंबर 368 खसरा नंबर 265 चिटहेरा दादरी गौतमबुद्ध नगर
 मांग सूचना दिनांकः 21.03.2023, **कब्जा दिनांकः** 19.07.2023
 बकाया राशिः रु. 7,42,866.56 (रुपये सात लाख बयालीस हजार आठ सौ छियासठ और छप्पन पैसे मात्र) अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक खर्चों और लागतों के साथ।
 संपत्ति का विवरणः खसरा 265, गाटा संख्याः 368, ग्राम-चिटहेरा, परगना और तहसीलः दादरी जिलाः गौतम बुद्ध नगर में स्थित आवासीय घर, क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मीटर, 1. श्री संजय सिंह, 2. श्री सतवीर सिंह के नाम पर।
 3. श्री सुरेंद्र सिंह.
 सीमाएँः उत्तरः जिलेवती का घर, दक्षिणः विक्रेता की शेष भूमि
 पूर्वः रास्ता कच्चा 15 फीट चौड़ा पश्चिमः आबादी भारती

दिनांक : 19.07.2023 स्थान : नोएडा ह./- अधिकृत प्राधिकारी, केनरा बैंक, नोएडा

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी एससीओ 98 (प्रथम एवं द्वितीय तल) सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा)

मांग सूचना
वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना। (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) **कार ऋण संख्या 39793616664**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है, जिसमें यहां सूचीबद्ध कर्जदारों और बंधककर्ताओं/गारंटरों (इसके बाद 'उक्त कर्जदार' के रूप में संदर्भित) को नोटिस में उल्लिखित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस या तो डाक अधिकारियों द्वारा बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है या कर्जदारों, बंधककर्ताओं/गारंटरों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मांग सूचना के इस प्रकाशन को प्रभावी कर रहा है। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त नोटिस को उक्त कर्जदारों/बंधककर्ता/गारंटरों के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चिपकाया है। उक्त नोटिस की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं; और उक्त कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से उक्त प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, एक बार फिर, उक्त कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारतीय स्टेट बैंक को नीचे दी गई राशि का भुगतान संविदात्मक दरों पर भावी ब्याज के साथ करें और नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर ऋण और अन्य दस्तावेजों के तहत भुगतान की तारीख तक का भुगतान करें। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित संपत्तियों को संबंधित कर्जदारों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के पास गिरवी रखा गया है। यदि उक्त कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर उपरोक्तानुसार भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान करने में विफल रहते हैं तब भारतीय स्टेट बैंक उपरोक्त प्रतिभूत संपत्तियों के खिलाफ सरफैसी अधिनियम और नियमों की धारा 13(4) के तहत लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त कर्जदारों, बंधककर्ताओं/गारंटरों के जोखिम पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (बी) के प्रावधानों पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। आपको सरफैसी अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूति संपत्तियों को चाहे बिक्री के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावास और/या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर का नाम	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	13(2) सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना की तिथि
रघुनाथ सिंह पुत्र श्री मंगतुराम मकान नंबर 1499, सेक्टर-55, फरीदाबाद-121004 श्री रघुनाथ सिंह पुत्र स्व. मंगतू राम वाया इंडो ऑटोटेक लिमिटेड यूनिट-1 प्लॉट नंबर 334-338, सेक्टर-24, फरीदाबाद-121003 इसके अलावाः मकान नंबर 1538, सेक्टर-55 फरीदाबाद-121004 इसके अलावाः मकान नंबर 3498, पहली मंजिल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वीटा डेयरी पॉकेट -2 के पास, सेक्टर-3 बल्लभगढ़-121004, फरीदाबाद (हरियाणा)	**दृष्टिबंधक वाहन का विवरण : निर्मिति : हुंडई औरा 1.2 एमटी सीएनजी एस पंजीकरण सं. :** HR-29-AW-6423 **इंजन नं. :** G4LALM751640 **चेसिस नं. :** MALB241CLLM046296	**तिथि** 07.05.2023 **तक रु.** 4,52,382.00 (रुपये चार लाख बावन हजार तीन सौ बयासी मात्र) + 08.05.2023 से उक्त धनराशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार + अन्य प्रभार, यदि कोई हो तथा साथ ही प्रवर्तन एजेंट के देय कोई अन्य राशि	**मांग सूचना तिथि** 08.05.2023 **एनपीए तिथि** 06.05.2023 **कार ऋण खाता सं.** 39793616664

तिथिः 24.07.2023 स्थानः फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी, सेक्टर-16, फरीदाबाद

sodexo
सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रजि. ऑफिसः 503 और 504, 5वी मंजिल, B विंग, हीरानंदानी फ़लक्रम, सहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 4000 99,
CIN: U74140MH2008FTC182494, फ़ोन नं.: +91 22 43214321, फैक्स नं.: +91 22 43214372, ईमेल ID: client@india.sodexo.com
वेबसाइटः www.sodexo.in

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम

(अंक-लाख में, प्रति शेयर डेटा के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा-परीक्षित)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा-परीक्षित)
1	आय		
	a) संचालन से राजस्व	17,756	13,733
	b) अन्य आय	1,192	1,242
	कुल आय	**18,948**	**14,975**
2	ख़र्चे		
	a) इस्तेमाल की गयी सामग्री की लागत	817	177
	b) संचालन की लागत	5,695	4,873
	c) कर्मचारी लाभ ख़र्च	6,836	5,850
	d) मूल्यह्रास और परिशोधन (डेप्रिसिएशन ऐंड अमॉर्टाइज़ेशन) ख़र्च	1,420	1,312
	e) अन्य ख़र्च	3,716	3,297
	f) वित्त लागत	72	93
3	**कुल ख़र्च**	**18,556**	**15,602**
4	**लाभ /(हानि) कर के पहले**	**392**	**-627**
5	कर (टैक्स) ख़र्च	154	-153
6	**शुद्ध लाभ/(हानि), अवधि के लिए**	238	-474
7	**पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल (रु.10/- प्रति शेयर की फेस वैल्यू)**	5,69,80,330	5,69,80,330
8	**प्रति शेयर आय (बेसिक/डाइल्यूटेड) (रु.)**	0.42	-0.83

31 मार्च, 2023 को संपत्तियों और उत्तरदायित्वों का विवरण

(अंक-लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा-परीक्षित)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए (लेखा-परीक्षित)
A	**समान शेयर और उत्तरदायित्व**		
1	**शेयर धारकों का कोष**		
	a) शेयर पूंजी	5,698	5,698
	b) अन्य इक्विटी	844	563
	उप-कुल शेयरधारक कोष	**6,542**	**6,261**
2	**ग़ैर-मौजूदा देयताएं**		
	a) वित्तीय देयताएं	452	1,155
	b) दीर्घ अवधि प्रावधान	1,103	1,039
	उप-कुल ग़ैर-मौजूदा देयताएं	**1,555**	**2,194**
3	**वर्तमान देयताएं**		
	a) वित्तीय देयताएं	27,887	20,946
	b) अन्य वर्तमान देयताएं	1,11,880	97,242
	उप-कुल वर्तमान देयताएं	**1,39,767**	**1,18,188**
	कुल समान शेयर और उत्तरदायित्व	**1,47,864**	**1,26,643**
B	**सम्पत्तियाँ**		
1	ग़ैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ		
	a) निश्चित संपत्ति	2,147	2,582
	b) वित्तीय सम्पत्तियाँ	384	829
	c) आय कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	5,815	3,576
	d) स्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	5,081	5,213
	e) अन्य ग़ैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ	621	604
	उप-कुल ग़ैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ	**14,048**	**12,804**
2	**वर्तमान सम्पत्तियाँ**		
	a) माल सूची	349	69
	b) व्यापार प्राप्तियां	8,282	7,930
	c) नक़्द और बैंक शेष	1,09,715	89,255
	d) अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	14,623	15,847
	e) अन्य वर्तमान सम्पत्तियाँ	847	738
	उप-कुल वर्तमान सम्पत्तियाँ	**1,33,816**	**1,13,839**
	कुल सम्पत्तियाँ	**1,47,864**	**1,26,643**

कृपया ध्यान दें :
a) 27 जून, 2023 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित किया गया है.
b) लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों और बैलेंस शीट के सम्बन्ध में कोई पात्रता या अन्य आरक्षण व्यक्त नहीं किया है और इसलिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है.
c) 20 सितम्बर 2023 को होगी कंपनी की वार्षिक महासभा (एनुअल जनरल मीटिंग) में सदस्यों द्वारा हिसाब-किताब (एकाउंट्स) को अपना लिया जायेगा.

दिनांकः 27.06.2023
स्थानः मुंबई
सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
कम्पनी सचिव

यूफ्लेक्स लिमिटेड

UFLEX 'A part of your daily life'

CIN : L74899DL1988PLC032166

रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तृतीय तल, मनोट कॉर्नर, पम्पोश एंक्लेव, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली – 110048
फोन नं०: 011–26440917, 011–26440925 फैक्स : 011–26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com ई–मेल : secretarial@uflexltd.com

34वीं (चौतीसवीं) वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य –दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना दिनांक 30 मई 2023 में तय ढंग के अनुसार व्यवसाय चलाने के लिये, यूफ्लेक्स लिमिटेड ("कंपनी") के **सदस्यों की 34वीं ("चौतीसवीं") वार्षिक आम बैठक** ('एजीएम' या 'बैठक') **बुधवार, 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार दिन के 3:30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से होगी। सामान्य विज्ञप्ति संख्या(ओं) क्रमशः 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी किये गये बाद के परिपत्र, जिनमें नवीनतम 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 की अनुरुपता में जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया है (सामूहिक रूप से एमसीए विज्ञप्ति कहा गया) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई 2022 और 05 जनवरी 2023 तथा सेबी द्वारा जारी अन्य विज्ञप्तियों (यदि जारी की गई) के सहित पढ़ा जाये (सामूहिक रूप से "सेबी विज्ञप्ति" कहा गया) के अनुपालन में, कंपनी 34वीं एजीएम की नोटिस, 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट सहित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजेगी जिनका ई–मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट तथा जमाकर्ताओं के साथ पंजीकृत है। एजीएम के नोटिस की कागजी प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त वर्णित एमसीए और सेबी की विज्ञप्तियों द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 और एजीएम का नोटिस, स्पष्टीकरण विवरण के साथ कंपनी की वेबसाईट **www.uflexltd.com** और शेयर बाजार की वेबसाईट(ओं) यथा **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर उपलब्ध होंगी। इसकी एक प्रति सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित जमाकर्ता प्रतिभागी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत करा लें और भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाईनेंशियल एंड कंम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि., बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुख दास मंदिर के निकट, नई दिल्ली–110062, फोन नं.: 011–29961281–83, फैक्स नं.: 011–29961284, ई–मेल beetal@beetalfinancial.com के साथ ई–मेल पता अद्यतन करा लें ताकि उन्हें वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम का नोटिस, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और दूर से ई–मतदान से संबंधित अनुदेश मिल सके।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 30% अन्तिम लाभांश [(₹10/- (रुपये दस मात्र) मूल्य की फेस वैल्यू पर ₹3.00 (रुपये तीन मात्र)] प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है, जो आगामी एजीएम में शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। एजीएम के उद्देश्य से और अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 5 अगस्त, 2023 से बुधवार, 23 अगस्त, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। लाभांश यदि घोषित किया जाता है तो यह विभिन्न ऑनलाईन अंतरण माध्यमों से उन शेयर धारकों को इसका भुगतान किया जायेगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/ डिपॉजिटरी यानी जमाकर्ता प्रतिभागियों के साथ अद्यतन कर लिया है। जिन शेयर धारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं किया है उनका लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट उनके पंजीकृत पते पर भेजा जायेगा। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश) से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश अंतरण के लिये अपना अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, वे इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश द्वारा सीधे अपने बैंक खाते में या किसी अन्य माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए कंपनी के ई–मेल secretarial@uflexltd.com पर निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रति भेज सकते हैं:

क) हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र, आपका नाम, फोलियो नम्बर, पूरा पता और बैंक विवरण (नाम, शाखा तथा खाता प्रकार) कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के बाद बैंक से आवंटित खाता संख्या के उल्लेख सहित; 11 अंक का आईएफएससी कोड;
ख) रद्द किये हुए चेक की स्व–प्रमाणित, जिस पर सदस्य या पहले धारक, यदि शेयर संयुक्त रूप से लिये गये हों, का नाम हो की स्कैन की हुई प्रति;
ग) पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित स्कैन की हुई प्रति; और
घ) सदस्य के कंपनी के साथ पंजीकृत पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे कि आधार–कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्कैन की हुई स्व–प्रमाणित प्रति।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश अपने डिपॉजिटरी या जमाकर्ता प्रतिभागि(यों) के माध्यम से अद्यतन करायें।

उपर्युक्त संदर्भ में किसी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के लिये, सदस्य कंपनी/कंपनी के आरटीए को उपरोक्त पते/ई–मेल पर लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार,
कृते यूफ्लेक्स लिमिटेड,
ह०/–
रितेश चौधरी
सीनियर वाइस प्रेसीडेंट – सेक्रेटेरियल एण्ड कंपनी सेक्रेटरी
एसीएस नम्बर 19966

स्थानः नोएडा
दिनांकः जुलाई 24, 2023